केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं. 329/टीएल/2026 दिनांकः 22.10.2026

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड तुमकूर मधुगिरि ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतब इंस्टीट्यूश्नल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार पर "अतिरिक्त आरई क्षमता (2.7 जीडब्ल्यू) के एकीकरण के लिए तुमकूर–II पर पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण" (जिसे इसके पश्चात् "परियोजना" कहा गया है) के भाग के रूप में अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ङ) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित सीओडी	परियोजना के घटक की अनुसूचित सीओडी पर वसूली योग्य कोटेड पारेषण प्रभारों का %	घटक जो कि संबंधित घटक का वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) घोषित करने के लिए पूर्वापेक्षित हैं
1.	400/220 केवी, 3x500 एमवीए आईसीटी (पांचवां से सातवां) से तुमकूर–II पीएस का संवर्धन • 400/220 केवी, 500 एमवीए, आईसीटी – 3 नं. • 400 केवी आईसीटी बेज़ – 3 नं. • 220 केवी आईसीटी बेज़ – 3 नं. • 220 केवी बस सेक्शनलाइजरः 2 सेट • 220 केवी बस कप्लर (बीसी) बे –2 नं. • 220 केवी ट्रांसफर बस कप्लर (टीबीसी) बे – 2 नं.	36 मास (29.05.2029)	83.8	क्र.सं. 2, 3 और 4 पर घटक
2.	तुमकूर–II – मधुगिरि 400 केवी (क्वाड) डी/सी लाइन • 400 केवी लाइन बेज़ – 2 नं. (तुमकूर–II पीएस पर) • मधुगिरि पर 400 केवी लाइन बेज़ – तुमकूर–II – मधुगिरि 400 केवी (क्वाड) डी/सी लाइन को मौजूदा लाइन बेज़ में समाप्त किया जा सकता है जो कि अपनी रेटेड 765 केवी वोल्टता स्तर पर नरेन्द्र न्यू – मधुगिरि 765 केवी डी/सी लाइन (वर्तमान में 400 केवी स्तर पर चार्ज) के उन्नयन पर उपलब्ध होगी जिसे "कर्नाटक में दावणगेरे/चित्रदुर्ग और बेल्लारी आरईजेड के एकीकरण के लिए पारेषण योजना" के अधीन कार्यान्वित किया जा रहा है।			क्र.सं. 1, 3 और 4 पर घटक
3.	2x125 एमवीएआर बस रिएक्टरों के कार्यान्वयन के अधीन स्विचिंग व्यवस्था के साथ तुमकूर–II पीएस पर ± 300 एमवीएआर स्टैटकॉम • 2x125 एमवीएआर बस रिएक्टरों के कार्यान्वयन के अधीन स्विचिंग व्यवस्था के साथ तुमकूर–II पीएस पर ± 300 एमवीएआर स्टैटकॉम • 400 केवी बे – 1 नं. • स्टैटकॉम के लिए तुमकूर–II से सटे हुए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण			क्र.सं. 1, 2 और 4 पर घटक

4.	आरई विकासकर्ताओं की समर्पित पारेषण लाइनों की समाप्ति के लिए तुमकूर–II पीएस पर 220 केवी लाइन बे के 2 नं. • 220 केवी लाइन बेज़ – 2 नं.			क्र.सं. 1, 2 और 3 पर घटक
5.	400/220 केवी, 3x500 एमवीए आईसीटी (आठवां से दसवां) से तुमकूर–II पीएस का संवर्धन • 400/220 केवी , 500 एमवीए, आईसीटी – 3 नं. • 400 केवी आईसीटी बेज़ – 3 नं. • 220 केवी आईसीटी बेज़ – 3 नं. • 220 केवी बस सेक्शनलाइजरः 1 सेट • 220 केवी बस कप्लर (बीसी) बे–1 नं. • 220 केवी ट्रांसफर बस कप्लर (टीबीसी) बे – 1 नं.		16.2	क्र.सं. 2, 3 और 6 पर घटक
6.	आरई विकासकर्ताओं की समर्पित पारेषण लाइनों की समाप्ति के लिए तुमकूर–II पीएस पर 220 केवी लाइन बे के 4 नं. • 220 केवी लाइन बेज़ – 4 नं.			क्र.सं. 2, 3 और 5 पर घटक

नोटः

i) तुमकूर–II का टीएसपी, तुमकूर–II पीएस पर आईसीटी और लाइन बेज़ (400 केवी और 220 केवी) के उपर्युक्त संवर्धन के लिए स्थान (निःशुल्क) उपलब्ध करवाएगा।

ii) पावरग्रिड, तुमकूर–II – मधुगिरि 400 केवी (क्वाड) डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए मधुगिरि एस/एस [अपनी रेटेड 765 केवी वोल्टता स्तर पर नरेन्द्र न्यू – मधुगिरि 765 केवी डी/सी लाइन (वर्तमान में 400 केवी स्तर पर चार्ज) के उन्नयन पर उपलब्ध] पर 400 केवी लाइन बेज़ (निःशुल्क) के दो (02) नं. प्रदान करेगा।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 12.6.2026 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 329/टीएल/2026 में दिनांक 22.10.2026 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. **पावरग्रिड तुमकूर मधुगिरि ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **4.11.2026** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **5.11.2026** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव